



गौमांस से भरी कार पकड़ाई

गौमांस तस्करी का मामला : बजरंग दल ने पकड़ी कार

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 4 अक्टूबर. राजधानी में गौमांस तस्करी का गंभीर मामला सामने आया है. शनिवार को तड़के करीब 4 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौमांस से भरी कार को 10 नंबर इलाके में पकड़ा.



कार्यकर्ताओं ने आरोपी का पीछा करते हुए पकड़ कर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया. पुलिस इस मामले में आरोपी ड्राइवर से पूछताछ करने में जुटी है. बजरंग दल भोपाल के जिला अध्यक्ष मोहित सोनी ने बताया कि दशहरा पर्व के दौरान दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है. इसी दौरान पता चला कि एक इनोवा कार में गौमांस ले जाया जा रहा है,

जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता एकजुट हुए और कार का पीछा करते हुए उसे पकड़ा गया. मोहित सोनी ने बताया कि आरोपी ड्राइवर से जब गौमांस के बारे में पूछा गया तो वह कुछ भी बताने में आनाकानी कर रहा था. आरोपी ने अपना नाम रघुवीर बताया है. सखी से पूछताछ करने पर उसने एक अन्य आरोपी रेहान के नाम की चर्चा की. आरोपी ने कार्यकर्ताओं को बताया कि 6 गायों की हत्या कर

उन्के मांस की तस्करी की जा रही थी, जिसका वजन करीब 5 क्विंटल तक बताया गया. उसने बताया कि रेहान नाम के व्यक्ति ने गौमांस एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसे 500 रुपए नगद दिए थे. आरोपी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह कहाँ से गौमांस लेकर आ रहा था और कहाँ उसे पहुंचाना था. जिला अध्यक्ष मोहित सोनी ने बताया कि मामले की शिकायत के बाद पुलिस की अनुमति लेते हुए गौमांस को दफनाया गया है. आरोपी को हबीबगंज थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया है. आरोपी की कार को पुलिस ने जप्त कर लिया है. आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है.

बीएचईएल ने ग्रीनको प्रमाणन सत्र किया आयोजित

भोपाल, 4 अक्टूबर. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), भोपाल इकाई ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से अपने विक्रेताओं के लिए ग्रीनको प्रमाणन प्रणाली पर एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया.



इस कार्यक्रम का संचालन सोहेल खान पटान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बीएचईएल की सतत विनिर्माण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता पर बल दिया गया. इस पहल का उद्देश्य विक्रेताओं को ग्रीनको प्रमाणन ढांचे से परिचित कराना था, जिसे उद्योगों में पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सीआईआई द्वारा विकसित किया गया है. सत्र में ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण,

अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने और हरित आपूर्ति श्रृंखला जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई. कार्यक्रम में संबोधित करते हुए विपुल अग्रवाल, महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) ने कहा, हमारे विक्रेता हमारी आपूर्ति श्रृंखला का अभिन्न अंग हैं. उनके द्वारा ग्रीनको ढांचे को अपनाने से हरित भविष्य की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयास और मजबूत होंगे. इस अवसर पर

ऋचा बाजपेयी, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक (सीआरएक्स-एफएसएक्स) और दीपक कुजुमार, प्रबंधक (एफएसएक्स) ने भी विचार साझा किए और स्थिरता लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोगात्मक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया. सत्र में 40 से अधिक विक्रेताओं ने सक्रिय भागीदारी की, जो जिम्मेदार विनिर्माण को बढ़ावा देने की साझा दृष्टि को दर्शाता है. इस पहल ने न केवल ज्ञान साझा करने का मंच प्रदान किया, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थिरता की आगे बढ़ाने में बीएचईएल भोपाल की अग्रणी भूमिका को भी सुदृढ़ किया. यह प्रयास बीएचईएल के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला में हरित प्रथाओं को शामिल कर उद्योग जगत में पर्यावरणीय जिम्मेदारी का मानक स्थापित करना है.

राष्ट्रीय औसत से अधिक है मातृ-शिशु मृत्यु दर

एसआरएस 2020-22 की ताजा रिपोर्ट में खुलासा

साक्षी केसरवानी
भोपाल, 4 अक्टूबर. मध्यप्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन अभी भी यह दरें राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक हैं. एसआरएस 2020-22 की ताजा रिपोर्ट के अनुसार अकेले मध्यप्रदेश में प्रति हजार जन्म लेने वाले बच्चों में 40 की मृत्यु हो जाती है. जबकि पहले यह संख्या 43 थी. वहीं अगर मातृ मृत्यु दर की बात करें तो प्रति लाख में 159 महिलायें जन्म के समय अपना जीवन खो देती हैं. जबकि पहले यह संख्या 173 थी. राज्य में पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी काफी अधिक है. एसआरएस की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय औसत घटकर 32 तक आ गया है, लेकिन मध्यप्रदेश में यह 45 से 50 के बीच है. वहीं अगर शहर और ग्रामीण इलाकों



की बात करें तो शहर में प्रति हजार पर यह संख्या 28 है वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 43 है. इन आंकड़ों से साफ है कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में सुधार तो हो रहा है लेकिन गति धीमी है. महिलाओं में गर्भधारण को लेकर अज्ञानता मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है. 20 की उम्र से पहले या 35 की उम्र के बाद प्रसव के दौरान खान पान का ध्यान न रखना, खून की कमी होना भी मृत्यु

कारण बनता है. गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान रेगुलर चेकअप न करवाना, पूर्व की बीमारियों को नजरअंदाज करना मां की जान को खतरा होता है. लंबे समय तक चलने वाले प्रसव के दौरान साफ-सफाई में कमी, असुरक्षित प्रसव, पानी की थैली (डिल्ली) का जल्दी फटना, प्रसव के बाद प्लेसेंटा का कोई हिस्सा अंदर रह जाना या फिर मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में



संक्रमण की स्थिति अधिक बनती है. डॉ. ओम प्रजापति ने बताया बच्चे की डिलेवरी के समय कई बार क्रिटिकल सिचुएशन में बर्थ एस्पेक्सिया की स्थिति आ जाती है, जिसमें जन्म से ठीक पहले, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत बाद ब्लड फ्लो रुक जाता है जिससे नवजात शिशु के मस्तिष्क और अन्य अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जो कि शिशु मृत्यु दर का कारण बनता है.

तीन साल तक मध्यप्रदेश में नहीं लगेगे स्मार्ट मीटर

भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आगामी तीन वर्षों तक राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है. इस निर्णय से पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं और आम नागरिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी की अहम भूमिका रही है. कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन के नेतृत्व में प्रदेशभर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन किए गए. इन प्रदर्शनों ने सरकार का ध्यान आम जनता की समस्याओं की ओर आकर्षित किया, जिसके परिणाम में यह बड़ा फैसला लिया गया. स्मार्ट मीटर पर रोक की घोषणा के बाद भोपाल के इतवारा चौराहे पर जश्न मनाया गया.

अरेरा कॉलोनी में अवैध शराब दुकान पर कांग्रेस का हमला

विशेष संवाददाता
भोपाल, 4 अक्टूबर. राजधानी भोपाल की अरेरा कॉलोनी स्थित आवासीय भूखंड पर चल रही अवैध शराब दुकान को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने शनिवार को प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि रहवासियों की लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे परेशान होकर लोगों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक जाना पड़ा. आयोग ने नोटिस और स्मरण पत्र जारी कर कार्रवाई के

निर्देश दिए थे, लेकिन भोपाल प्रशासन ने आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया. त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन शराब माफियाओं के दबाव में काम कर रहा है और रहवासियों की शिकायतों को अनसुना कर केवल दुकान को बचाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि आर्य समाज मंदिर और अनुश्री नर्सिंग होम के पास चल रही यह दुकान महिलाओं और बच्चों के लिए खतरा है. रहवासियों ने भी विरोध जताते हुए चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो वे खुद दुकान में तालाबंदी करेंगे.



Government of India Ministry of Road Transport and Highways

ड्राइविंग लाइसेंस धारकों और पंजीकृत वाहन मालिकों से आग्रह है कि वे अपना मोबाइल नंबर वाहन और सारथी पोर्टल पर अपडेट करवा लें। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि विवरण पूर्ण, सटीक और अद्यतित हैं। आर टी ओ में जाए बिना पोर्टल में मोबाइल नंबर अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।

SCAN OR CLICK TO UPDATE YOUR MOBILE NUMBER



VAHAN

<https://vahan.parivahan.gov.in/mobileupdate/>



SARTHI

<https://sarathi.parivahan.gov.in/sarathiservice/mobNumUpdpub.do.>

संबंधित व्यक्ति विवरण परिवहन वेबसाइट <https://parivahan.gov.in/> पर देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया ईमेल करें - आईडी: [helpdesk-vahan\[at\]gov\[dot\]in](mailto:helpdesk-vahan@gov.in) and [helpdesk-sarathi\[at\]gov\[dot\]in](mailto:helpdesk-sarathi@gov.in) CBC 37101/13/0011/2526

